The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में विधि शासन की वस्तुस्थिति

डॉ. आशुतोष राय

(सहायक प्राध्यापक) शा.विधि महाविद्यालय,दतिया (म.प्र.) मो.न.7068451425 ईमेल:- ashutoshrai145@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17328979

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

विधि शासन, प्राधिकारी, अधिकारिता, प्रक्रियात्मक, मूल अधिकार, अपराधिक न्याय, लोक निधि इत्यादि |

ABSTRACT

विधि शासन का तात्पर्य कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हैं, विधि ही सबसे ऊपर हैं राज्य के जिस कार्य में मनमानापन हैं वहां विधि शासन नहीं हो सकता | यह सर्वविदित हैं कि जिन राज्यों या देशों में विधि का शासन होता हैं वहां पर उस देश या राज्य के सभी लोग चाहे वह अमीर, गरीब कोई हों सभी विधि के अधीन हैं | 13 वी सदी में हेनरी तृतीय के शासन काल से उत्पन्न विधि शासन आज भारत में तब जायदा चर्चित हो गया जब 17/04/25 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीश धनकड़ ने "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बयान दिया कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य करने के लिए आदेशित नहीं कर सकते हैं क्योकिं भारत में संसद सर्वोच्च हैं, उससे ऊपर कोई नहीं हैं |" उनके इस बयान ने हम विधि जगत के लोगों को एक बार इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि वास्तव में भारत में विधि शासन की क्या प्रस्थिति हैं इसकी प्रमाणिकता को देखने के लिए विधि शासन सूचकांक 2024 के समस्त कारकों का विश्लेषण कर यह स्पष्ट किये जाने का प्रयास किया गया हैं कि वर्तमान में भारत में विधि शासन की क्या दशा हैं और हमें कहाँ पर कितने सुधार की आवश्यकता हैं जिससे भारत में विधि शासन पूर्णतया लागू हो सकें |

परिणाम:- इस शोध पत्र के माध्यम से भारत में विधि शासन के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा कर लोगों को व् राज्य शासन को इस बात से जागरूक करने का प्रयास किया गया हैं कि इस मामले में हमें कहाँ कितना ध्यान देने की आवश्यकता हैं |

परिचय: प्रोफेसर ए.वी.डायसी के अनुसार इंग्लैंड में विधि शासन का तात्पर्य "कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हों वह देश की सामान्य विधि के अधीन हैं और उस पर उस देश की साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर कार्यवाही होती हैं |" इन्होने 1885 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "Law and the Constitution" में विधि के शासन के तीन सिद्धांत प्रस्तुत किये और कहा कि विधि की सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए निम्न तीन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए |

1. कानून की सर्वोच्चता
2. कानून के समक्ष समानता
3. न्यायालय द्वारा निर्णित न्याय

राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेकर निर्धन व्यक्ति देश की सामान्य विधि के अधीन हैं और ऐसा करने में किसी सरकारी, प्राइवेट व्यक्ति के बीच कोई विभेद नहीं किया गया हैं | यद्यपि अपवादस्वरूप उन्हें कुछ विशेष अधिकार संविधान व् अन्य विधि में उपलब्ध कराया गया हैं |

विधि शासन की उत्पति :- 13 वी सदी में हेनरी तृतीय के शासन काल में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हेनरी डी.ब्रेक्टन ने कहा कि राजा सर्वोच्च नहीं हैं, वह उस परम शक्ति ईश्वर और विधि के अधीन हैं | राजा भी विधि के अधीन हैं क्योंकि विधि के कारण ही उसे राजा बनाया गया हैं | यद्यपि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने उस निर्णय में नहीं किया था, इस शब्द का प्रयोग पहली बार एडवर्ड कोक ने दिया तत्पश्चात प्लेटो, अरस्तू, व् सिसरों ने भी इसका समर्थन किया |

विधि शासन शब्द को फ्रांसीसी शब्द "le Principe de legalite" से लिया गया हैं जिसका अर्थ हैं "वैधता का सिद्धांत" "the principle of legality" | विधि शासन में विधि की सर्वोच्चता रहती हैं, इसमें सरकार सहित सभी अधिकारी, प्राधिकारी, संस्थाए विधि के अधीन होती हैं और यह उनके अपने कार्यशैली में मनमानेपन को रोकता हैं अर्थात सरकार द्वारा किया गया समस्त कार्य युक्तियुक्त होना चाहिए जो कि बोधगम्य अन्तरक के अधार पर विभेद करने वाला होना चाहिए अन्यथा उसका कार्य संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला होगा |

विधि शासन की परिभाषा :- इसे विभिन्न विधिवेत्ताओं ने अपने अनुसार व् तत्कालीन परिस्थतियों के अनुसार परिभाषित किया हैं जो कुछ इस प्रकार हैं –

प्रोफेसर विलियम वेड :- विधि के शासन के लिए यह आवश्यक हैं कि सरकार विधि के अधीन हो ना कि विधि सरकार के अधीन हो |

अर्थात सरकार के सभी अंग विधि के अधीन हो चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका या न्यायपालिका | भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी यह बात पूर्णतया लागू होती हैं उक्त सभी अंगों के गठन कार्य व् शक्तियां संविधान में मार्गदर्शक के रूप में लिखित हैं और इसे धरातल पर लाने के लिए विभिन्न नियम, विनियम, प्रत्यायोजित विधि बनायी गयी हैं जिससे सभी उक्त संस्थाए अपना अपना कार्य अपनी सीमाओं में रहते हुए कार्य कर रहीं हैं | यद्यपि वर्तमान में इसका कुछ हद तक कुछ पदाधिकारियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा हैं जिसे अपवादस्वरूप माना जा सकता हैं |

ब्लैक लॉ शब्दकोष :- विधि का शासन विधि की सर्वोच्चता को दर्शित करता हैं | जिस देश या राज्य में विधि का शासन होता हैं वहां न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुस्थापित सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर दिए जाते हैं और ऐसे सिद्धांतों या कानूनों के प्रयोग में किसी प्रकार का मनमानापन नहीं होता हैं |

अर्थात न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय पारित किये जाते हैं वह मान्य विधिक सिद्धांतों व् कानूनों पर आधारित होता हैं |

भूतपूर्व सयुंक्त राष्ट्र महासचिव कोफ़ी अनानं :- "विधि शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसमे राज्य सहित सभी व्यक्ति, संस्थाए, चाहे वह सार्वजनिक हों या निजी हों, उन कानूनों के प्रति जवाबदेह होती हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू और स्वंत्रत रूप से न्यायोचित होते हैं , और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व् मानदंडों के अनुरूप होते हैं" |

यह कानून की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, विधि के प्रति जवाबदेही, कानून के प्रयोग में निष्पक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, विधियों की निश्चितता, मनमानेपन से बचाव, और प्रक्रियात्मक एवं कानूनी पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए और सुरक्षा उपायों का भी अव्ह्वान करता हैं |

उपरोक्त सभी मानक भारत में विधि शासन के मानक कहे जा सकते हैं यदि इन सभी मानकों का भारत में परीक्षण करे तो पता चलता हैं कि भारत में पूर्णतया विधि शासन लागू हैं |

विधि के शासन के मूल सिद्धांत :- भारत व् अन्य देशों के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के आधार पर विधि शासन के कुछ मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं

1. विधि की सर्वोच्चताविधि ही सबसे ऊपर हैं कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी पद पर हों या ,भारत में विधि ही सर्वोच्च , भारत में यह सिद्धांत पूर्णतया लागू| कोई भी हों वह विधि के अधीन हैं हैं |
2. जिस राज्य में विधि का शासन होता हैं वहां के संस्थाप्राधिकारी द्वारा लिया गया समस्त निर्णय सनकपन व् मनमानेपन , | से अछुता रहता हैं
3. किसी व्यक्ति कोउसे विधि के अनुसार स्थापित प्रक्रिया से ,दुसरे व्यक्ति के मनमाने निर्णय से कोई कष्ट नहीं सहना होगा , हीदण्डित किया जायेगा |
4. जहाँ मनमानेपन का अभाव हैं या युक्तियुक्त विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया हैं वहां विधि शासन होगा और यहीं विधि शासन की आत्मा हैं |
5. विधि का शासन| विधि के समक्ष समता व् विधि के समान सरंक्षण पर आधारित हैं ,
6. न्यायपालिकाविधि के शासन का अभिव ,ावक व् सरंक्षक हैं इसका उद्देश्य स्वंत्रत और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना हैं |
7. मामले की शीघ्र सुनवाईन्याय में देरी जो की न्याय से इंकार के समान हैं“ विधि के शासन का मूलतत्व हैं इसका तात्पर्य , ”|

   विधि शासन की महत्ता को देखते हुए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य** के मामले में इसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया हैं अर्थात विधायिका संविधान संशोधन करके इसे नहीं | | बदल सकती हैं

विधि के शासन का वर्तमान भारतीय परिदृश्य में प्रस्थिति: विधि के शासन का वर्तमान में महत्व तब ज्यादा हो गया जब 16/4/25 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ जी ने यह बयान दिया कि भारत में संसद सर्वोपरि हैं न्यायपालिका राष्ट्रपति को यह आदेश नहीं दे सकती हैं कि किसी बिल पर कितने समय में निर्णय लेना चाहिए | इस बयान से विधि क्षेत्र के लोगों में इस प्रश्न पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया कि वर्तमान में भारत में विधि शासन की वास्तव में क्या प्रस्थिति हैं | इस वस्तुस्थिति को परखने के लिए एक गैर व्यवसायिक संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रति वर्ष जारी विधि शासन सूचकांक, 2024 का विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं जिससे विधि के शासन की वस्तुस्थिति को जाना जा सके |

विधि शासन सूचकांक, 2024:- इस सूचकांक में कुल 142 देश हैं इसमें भारत की प्रस्थिति 79 वां हैं जबकि नेपाल, व् श्रीलंका की प्रस्थिति भारत से अच्छी हैं | यह सूचकांक मूलत: 8 मुख्य कारकों व् 44 उपकारकों के आधार पर सर्वे कराकर जारी किया गया हैं | ये 8 मूल कारक जिस आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया हैं और उस सन्दर्भ में भारत की क्या स्थिति हैं और उसमे कितने सुधार की आवश्यकता हैं | जो इस प्रकार हैं-

01. **सरकार की शक्तियों पर प्रतिबन्ध :**यह संगठन इस कारक के माध्यम से यह देखता हैं कि संविधानिक और संस्थागत नियमों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को कार्य करने के लिए कितना छूट दिया गया हैं और कितना उनकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया हैं वी रही 60 देशों की सूची में इस कारक में भारत की प्रस्थिति 142 कुल | | हैं अर्थात भारत में सरकार की शक्तियों पर कुछ हद तक ही प्रतिबन्ध हैं और कुछ हद तक उन्हें अपने कार्य के लिए पूरी छूट दी गयी हैं इससे भारत में इस मुख्य कारक पर सुधार किया जाना अपेक्षित हैं जिससे विधि के शासन की | | प्रस्थिति में भी सुधार होगा
02. **भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति :**यह संगठन इस कारक के माध्यम से यह देखता हैं की सरकार में भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति हैंइस संगठन के अनुसार | यदि भ्रष्टाचार हैं तो विधि का शासन उस राज्य में पूर्णतया लागू नहीं हैं , व् लोक निधि का दुर्विनियोग शामिल ,अनुचित प्रभाव ,भ्रष्टाचार में रिश्वत हैं उक्त समस्त तत्व या किसी एक तत्व की | | पुलिस और विधायिका में की जाती हैं ,सशस्त्र बल ,न्यायपालिका ,जाँच सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका वां स्थान हैं जो यह दर्शित करता हैं कि 97 देशों की सूची में 142 इस कारक के मामले में भारत की प्रस्थिति कुल भारत में भ्रष्टाचार अधिकांश क्षेत्र में आज भी व्याप्त हैं जिस पर भी विचार किये जाने की अत्यंत आवश्यकता हैं |
03. **खुली सरकार :** इसका तात्पर्य हैं जिस देश में विधि शासन हैं वहां की सरकार अपने लोगों के लिए खुली हैं अर्थात सरकार द्वारा किये गए सभी कार्य अपने नागरिकों के लिए खुले हैं वह यह देख सकते हैं कि कोई कार्यकितने राशि , इसके लिए सभी सरकारी एंजेंसी को सूचना के अधिकार | किस एंजेंसी द्वारा किया गया हैं ,कितने समय में ,में 2005,अधिनियमके माध्यम से यह कर्तव्य आरोपित किया गया हैं कि वह अपने द्वारा किये जाने समस्त कार्यों की जानकारी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराये इसके अतिरिक्त कई राज्यों ने अपने नागरिकों तक पहुँच के लिए टोल | भी शिकायत सीधे राज्य के मुख्यमंत्री फ्री नम्बर भी उपलब्ध कराये गए हैं जिसका उपयोग कर नागरिक अपनी किसी से करते हैं जिसका निराकरण सरकारी संस्थाए प्राथमिकता के आधार पर करती हैं इस कारक के मामले में भारत |

वां स्थान हैं अर्थात भारत की प्रस्थिति इस कारक में कुछ अच्छी हैं फिर 44 देशों की सूची में 142 की प्रस्थिति कुल | भी और सुधार की आवश्यकता हैं भी इसमें

04. **मौलिक अधिकार :** इस कारक से यह तात्पर्य हैं कि प्रत्येक राज्य के पास ऐसा कोई कानून हो जो मानव अधिकार घोषणा 1948,के समान पवित्र हों लोगों के द्वारा उसका स्वतसरकार के सभी अंग इसे सरंक्षित करने में | पालन हों : देशों 142 इस कारक के मामले में भारत की प्रस्थिति कुल | सहयोग करे की सूची में | वां स्थान पर रहा हैं 102 भारतीय संविधान वो मार्गदर्शक कानून हैं जो सभी नागरिक अनागरिक को मूल अधिकार प्रदान करता हैं और इसके भारत में पर्याप्त कानून हैं पर इसे | त हैंइत्यादि बनाये गए हैं जो मूल अधिकार को पोषि ,विनियम ,लिए कई अधिनियम सरंक्षित करने सरकार अन्य अंग के सहयोग में सुधार की अत्यंत आवश्यकता हैं इसी के कारण भारत की यह प्रस्थिति इस कारक के सन्दर्भ में दर्शित हो रहीं हैं |

05. **व्यवस्था और सुरक्षा :** इस कारक से यह तात्पर्य हैं कि राज्य को अपने लोगों की भौतिक व् संपत्तिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हैं प्रत्येक उस राज्य में जिमसे विधि शासन कायम हैं उस राज्य की यह जिम्मेदारी हैं कि वह अपने | इस कारक में भारत | पूर्णतया निष्पक्षता बरते वह ऐसा करने में ,नागरिकों की भौतिक व् सम्पतिक सुरक्षा प्रदान करे वीं हैं जिसमे अधिक सुधार की आवश् 98 की प्रस्थितियकता हैं |

06. **नियमों का प्रवर्तन :**इस कारक से तात्पर्य यह कि राज्य अपने सभी नागरिकोंव्यक्तियों पर लागू होने वाले सभी , भारत | त भाई भतीजावाद को देखकर कानून का प्रवर्तन ना कराया जाएअर्था | कानूनों को निष्पक्षता पूर्ण से लागू करे वीं प्रस् 78 की इस कारक को लेकरथिति हैं जो यह दर्शित करती हैं कि वास्तव में भाई भतीजावादपक्षपात तरीके से , | विधि को राज्य द्वारा लागू किया जाता हैं

07. **सिविल न्याय :**इस कारक से तात्पर्य यह कि राज्य में सिविल न्याय प्रणाली सभी के लिए सस्ती व् सुलभ हों साथ ही साथ वह भेदभावऔर सर ,भ्रष्टाचार ,कारी अधिकारियों के अनुचित प्रभाव से मुक्त हों इसके साथ यह भी देखा | वैकल्पिक जाता हैं कि क्या न्यायालय अनावश्यक देरी करती हैं और न्यायालय द्वारा लोगों को उपलब्ध कराये गए भारत | समाधान को भी यह मापता हैं अर्थात सूचकांक तैयार करते समय इसका ध्यान रखा जाता हैं की प्रस्थिति कुल | वीं रहीं हैं जो यह दर्शित करती हैं कि कितने सुधार की आवश्यकता हैं 107 देशों की सूची में 142

08. **अपराधिक न्याय :**इस कारक से तात्पर्य यह कि राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली किस तरह से काम करती हैं इसमें पुलिस व् न्यायधीश और जेल ,अभियोजन ,वकील ,अधिकारियों सहित पूरी व्यवस्था की कार्यशैली का ध्यान

रखा जाता हैं र भी वीं रहीं हैं जो यह दर्शित करती हैं कि वर्तमान में इस कारक प 89 इस कारक में भारत की प्रस्थिति | | ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हैं

निष्कर्ष :- इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जिन राज्यों में विधि का शासन लागू होता हैं वहां विधि राजा होती हैं और उसके मंत्री उसके अधिकारी होते हैं | यदि अधिकारी मनमाना कार्य करता हैं तो उस राज्य में विधि का शासन नहीं माना जायेगा | अर्थात विधि का शासन और मनमानापन एक दुसरे के विरोध में हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना जायेगा | विश्व के 142 देशों की सूची में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी सूचकांक यह दर्शित करता हैं कि भारत 79 वें रैंक पर दर्शित हैं | भारत की इस प्रस्थिति के सम्बन्ध में यह भी देखा गया कि इसके कारकों में भारत की प्रस्थिति कुछ ठीक नहीं हैं इसलिए हमें उन सभी कारकों पर विचार करने की आवश्यकता हैं क्योंकि श्रीलंका, नेपाल जैसे छोटे देश भी भारत से आगे हैं |

संदर्भ:

1. https://en.wikipedia.org
2. https://worldjusticeproject.org
3. https://www.lawteacher.net
4. https://blog.ipleaders.in
5. https://blog.finology.in